

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(15)नविवि / 3 / 2013

जयपुर, दिनांक : **26 AUG 2016**

आदेश

विभाग द्वारा जारी मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण / नियमबद्धता / नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :—

- (i) उक्त नियमों में विभागीय आदेश दिनांक 21.01.2016 द्वारा जारी आदेश में प्रावधान किया गया है कि उक्त उपविधियां ऐसे अनाधिकृत निर्माणों के नियमितिकरण हेतु लागू हैं, जिनका निर्माण इन उपविधियों के लागू होने से पूर्व किया जा चुका है। निर्माण पूर्ण होने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि “उक्त उपविधियां उन प्रकरणों पर लागू होंगी, जिनके भवन मानचित्र उपविधियां जारी होने की दिनांक से पूर्व अनुमोदित हो चुके हों।”
- (ii) “सॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण / नियमबद्धता / नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 में जहां जहां भी नियमबद्ध / नियमबद्ध योग्य शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका आशय नियमों के अन्तर्गत किया गया निर्माण तथा अनाधिकृत निर्माण, जिसको नियमित किया गया है, को सम्मिलित माना जावे।”

भवदीय,

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, रथानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक / उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जोधपुर / जयपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर / आबू / गंगानगर / भरतपुर / बाढ़मेर / बीकानेर जैसलमेर / कोटा / सवाईमाधोपुर / सीकर / पाली / भिवाड़ी / चित्तौड़गढ़ / भीलवाड़ा / उदयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय
26/8/16